

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ.2(1)(3) स.आ./लेखा/बजट/2001/

6058-94

जयपुर, दिनांक

16.3.10

जिला कलेक्टर,

अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा,
बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर,
गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सर्वाईमाधोपुर,
सीकर, सिसोही, टोंक, उदयपुर।

विषय:— सम्वत् 2066 के लिए पशु पोषण (पशु आहार) मद में राजस्थान राज्य
सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड (राजफैड) एवं राजस्थान कोपरेटिव
डेयरी फेडरेशन लि. (आर.सी.डी.एफ.) को अग्रिम दिए जाने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि सम्वत् 2066 के लिए पशुपालकों
को पशु आहार उपलब्ध कराने हेतु पशु पोषण (पशु आहार) मद के तहत आवंटित राशि में से
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि. (राजफैड) एवं राजस्थान कोपरेटिव डेयरी
फेडरेशन लि.(आर.सी.डी.एफ.) को अग्रिम दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अग्रिम
राशि का उपयोग जिस कार्य के लिए स्वीकृत किया गया है उसी के लिए किया जावे तथा
अग्रिम राशि का समायोजन पशु आहार वितरण करने वाली संस्था द्वारा प्रेषित अनुदान बिलों से
किया जायेगा।

भवदीय,

13/3/10

शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ट सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
9. प्रबन्ध संचालक, राज0 राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन, राज0, जयपुर/प्रबन्ध संचालक,
राज0 क्रय-विक्रय संघ, जयपुर।
10. समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।

शासन उप सचिव